Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सिरोही में फूड–इंस्पेक्टर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 17 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *11 अप्रेल सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जालोर इकाई द्वारा आज सिरोही में कार्यवाही करते हुये विनोद शर्मा फूड–इंस्पेक्टर एवं विशाल सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को परिवादी से 17 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जालोर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके डेयरी प्रतिष्ठान से फूड सैम्पल नहीं लेने की एवज में विनोद शर्मा फूड–इंस्पेक्टर, सिरोही द्वारा विशाल सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के माध्यम से पिछले छह माह की मासिक बन्धी के रूप में 22 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी **जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाशचन्द विश्नोई** के सुपरविजन में एसीबी जालोर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह चारण** मय टीम द्वारा सिरोही में ट्रेप कार्यवाही करते हुये विनोद शर्मा पुत्र श्री रामकिशन हाल फूड–इंस्पेक्टर, सिरोही एवं विशाल सिंह पुत्र श्री मदन सिंह हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय खाद्य निरीक्षक, सिरोही को परिवादी से **17 हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि रिश्वत राशि स्वीकार करने के दौरान ही आरोपी विशाल सिंह द्वारा रिश्वत की रकम में से 5 हजार रुपये परिवादी को वापस लौटा दिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानो पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।